न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीणा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 27/2024 राजस्व वाद

01. ग्राम पंचायत राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये ग्राम विकास अधिकारी/संरपच ग्राम पंचायत राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादी

बनाम

1. खुमाण कंवर पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   1/1 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री नाथू लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी
2 श्री मुकेश सिंह तंवर ––अधिवक्ता प्र.सं. 1 से 3
3. पैरोकार सरकार ––प्रतिवादी संख्या 04

:: निर्णय :: दिनांक– 20/02/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 7991/2298 रकबा 0.1644 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 7993/2298 रकबा 0.3794 हैक्टयर जो कि गै.मु. आबादी वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। इसी प्रकार सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 7990/2298 रकबा 0.3541 हैक्टयर भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो के नाम पर दर्ज है। ग्राम राजाजी का करेड़ा की आबादी वर्षो से बसी हुई है, उसी जगह लोगो के कब्जे है। हाल ही मे वादी द्वारा अपनी भूमि का सीमाकंन हेतु पटवार हल्का के पास गया व राजस्व रेकार्ड व नक्शा देखने पर पता चला कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की भूमि मौके अनुसार तरमीम नही होकर उक्त भूमि आराजी नम्बर 7[illegible]/22[illegible] जो कि आराजी नम्बर 2299 से लगती हुई है, जिसमे 0.0630 हैक्टयर भूमि पर मकान बने हुए [illegible] वादी के आधिपत्य मे है व वादी की आराजी नम्बर 7991/2298 मे से रकबा 0.0378 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 7993/2298 मे से 0.0252 हैक्टयर कुल 0.0630 हैक्टययर जो कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 7990/2298 के सहारे स्थित है, उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के कब्जे मे है। उक्त भूमि मौके पर कब्जे अनुसार नही होने से विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

लगायत 03 तीन को उक्तानुसार भूमि राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्त कराने हेतु कहने पर टालमटोल करते रहे है। दिनांक 07 सात फरवरी 2024 दो हजार चौबीस को कहने पर इंकार कर दिये, इस पर प्रतिवादी संख्या 04 चार को भी निवेदन करने पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी गयी। सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 7990/2298 मे से 0.0630 हैक्टयर भूमि कम करा उसके नवीन बटा नम्बर कायम कर आराजी नम्बर 2299 के सटमा वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाकर तरमीम करायी जाने व वादी की आराजी नम्बर 7991/2298 मे से 0.0378 हैक्टयर व आराजी नम्बर 7993/2298 मे से 0.0252 हैक्टयर कम करा कुल रकबा 0.0630 हैक्टयर भूमि के नवीन बटा नम्बर कायम कर आराजी नम्बर 7990/2298 के सटमा है, जो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाकर तरमीम करायी जाने की घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणो को सम्मन नोटिस जारी किये गये, बाद तामिल प्रतिवादीगण की ओर से मामले मे जवाब प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा वाद मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया गया व वाद को डिकी करने का निवेदन किया गया व प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा भी जवाब पेश कर वाद मे वर्णित अनुसार भूमि दर्ज किये जाने पर राजहित पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडना बताया गया। वादी द्वारा जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस भी पेश की गयी, जिसे शामिल पत्रावली कर प्रदर्शित किये गये।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की भूमि मौके अनुसार तरमीम नही होकर उक्त भूमि आराजी नम्बर 7990/2298 जो कि आराजी नम्बर 2299 से लगती हुई है, जिसमे 0.0630 हैक्टयर भूमि पर मकान बने हुए है व वादी के आधिपत्य मे है व वादी की आराजी नम्बर 7991/2298 मे से रकबा 0.0378 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 7993/2298 मे से 0.0252 हैक्टयर कुल 0.0630 हैक्टययर जो कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 7990/2298 के सहारे स्थित है, उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के कब्जे मे है, जो वादी के अभिवचनो व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की स्वीकारोक्ति से साबित है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 7990/2298 मे से 0.0630 हैक्टयर भूमि कम करा उसके नवीन बटा नम्बर कायम कर आराजी नम्बर 2299 के सटमा वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाकर तरमीम करायी जाने व वादी की आराजी नम्बर 7991/2298 मे से 0.0378 हैक्टयर व आराजी नम्बर 7993/2298 मे से 0.0252 हैक्टयर कम करा कुल रकबा 0.0630 हैक्टयर भूमि के नवीन बटा नम्बर कायम कर आराजी नम्बर 7990/2298 के सटमा है, जो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाकर खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 7990/2298 मे से 0.0630 हैक्टयर भूमि कम करा उसके नवीन बटा नम्बर कायम कर आराजी नम्बर 2299 के सटमा वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाकर तरमीम

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

करायी जाने व वादी की आराजी नम्बर 7991/2298 मे से 0.0378 हैक्टयर व आराजी नम्बर 7993/2298 मे से 0.0252 हैक्टयर कम करा कुल रकबा 0.0630 हैक्टयर भूमि के नवीन बटा नम्बर कायम कर आराजी नम्बर 7990/2298 के सटमा है, जो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाकर इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(मनमोहन मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:44 IST
Reason: SelfAttested